FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर मुकाम

मूलाराम बनाम डूंगाराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा० आवे० 251 (ए) RTAct नं. 37/19 सन् 2019

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 16/01/19 | प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री खेताराम जाखड़ ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 251 (ए) RTAct राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 25/02/19 को पेश हो। | |
| 25/02/19 | प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षियों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी संख्या-1 की ओर से वकील श्री [illegible] चौधरी द्वारा अण्डर टेकिंग की गई। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 26/03/19 को पेश हो। | अण्डर टेकिंग प्रतिवादी सं. 01 की ओर से |
| 26/03/19 | पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाए पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 08/05/19 को पेश हो। | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 17:40:14 IST
Reason: SelfAttested

08/05/19 वकुलाय फरीकैन उपस्थित। विपक्षी संख्या 1 के वकील द्वारा वकालतनामा व जवाब पेश नहीं किया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इत्तला होकर आगामी दिनांक 19/06/19 को पेश हो।

19/06/19 पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इत्तला होकर दिनांक 19/08/19 का पेश हो।

19/08/19 वकुलाय फरीकैन उपस्थित। विपक्षी वकील द्वारा वकालतनामा पेश नहीं किया गया। फाइल पेश करना चाहते हैं। प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना-पत्र मौका रिपोर्ट मंगवाने बाबत का प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अतः पत्रावली वास्ते वकालतनामा व जवाब हेतु दिनांक 17/09/19 को पेश हो।

17/09/19 वकुलाय फरीकैन उपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इत्तला होकर आगामी दिनांक 30/09/19 को पेश हो।

30/09/19 वकुलाय फरीकैन उपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इत्तला होकर आगामी दिनांक 09/10/19 को पेश हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 17:40:14 IST
Reason: SelfAttested

| हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 9/10/19 | प्रार्थी व विपक्षी संख्या-1 के वकील उपस्थित। विपक्षी संख्या-1 के अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा व जवाब पेश नहीं किया गया, जिसे पूर्व में पर्याप्त अवसर दिये गये, विपक्षी संख्या-1 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र वास्ते मंगवाने मौका रिपोर्ट को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी होकर पत्रावली दिनांक 11/11/19 को पेश हो। विवेक व्यास सहायक कलक्टर (SDO) बायतु | |
| 11/11/19 | प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। तहसीलदार बायतु से मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। इन्तजार होकर पत्रावली आइन्दा दिनांक 03/12/19 को पेश हो। विवेक व्यास सहायक कलक्टर (SDO) बायतु | |
| 03/12/19 | प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनु०। तहसीलदार बायतु से मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 04/02/2020 को पेश हो। विवेक व्यास सहायक कलक्टर (SDO) बायतु | |
| 04/02/2020 | प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। तहसीलदार बायतु से मौका रिपोर्ट प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी वकील की मूल आवेदन व मौका रिपोर्ट पर बहस सुनी गई, प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर फैसला अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली मिसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। विवेक व्यास सहायक कलक्टर (SDO) बायतु | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 17:40:14 IST
Reason: SelfAttested

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु, जिला–बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 37 / 2019 दिनांक :– 04.02.2020

| प्रार्थी | बनाम | विप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| मूलाराम पुत्र जेताराम जाति जाट निवासी बाटाडू, तहसील बायतु जिला बाड़मेर | | 1. हुकमाराम पुत्र रिड़मलराम जाति जाट निवासी बाटाडू, तहसील बायतु जिला बाड़मेर<br>2. तहसीलदार, बायतु |

*आवेदन अन्तर्गत धारा 251 –क (1) रा.का.अधिनियम*

***Application for permission under sub-section (1) pf section 251-A of the Rajasthan tenancy Act, 1955***

उपस्थिति :– 1. श्री खेताराम जाखड़ अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से

## आदेश

प्रार्थी ने अपनी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 1768 रकबा 59.08 बीघा ग्राम बाटाडू पटवार मण्डल बाटाडू तहसील गिड़ा से सड़क तक पहुंचने के लिए विप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 1764 में से होकर 15 फीट चौड़ा रास्ता स्थापित कर खुलवाने हेतु यह आवेदन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अन्तर्गत इस न्यायालय में पेश किया। प्रार्थी का आवेदन दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस वास्ते जवाब आवेदन तलब किया। विप्रार्थीगण की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद अनुपस्थित रहने से दिनांक 09.10.2019 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में मौका रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु तहसीलदार बायतु को लिखा गया। मौका रिपोर्ट तहसीलदार बायतु द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को साथ रखकर तैयार की गई। तहसीलदार बायतु ने मौका रिपोर्ट में उल्लेख किया कि प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 1768 कुल रकबा 59.08 बीघा में से सड़क तक पहुंचने हेतु रास्ता चाहा है, न्यूनतम दूरी का रास्ता है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं है एवं उक्त मार्ग के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक मार्ग वर्तमान में नहीं चल रहा है। मौके पर कोई निर्माण नहीं है। सड़क से कम दूरी व मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शें में लाल रंग से विप्रार्थी के खेत के सेढ़ा–सेढ़ का रास्ता प्रस्तावित किया गया है तथा प्रस्तावित रास्ते का कुल रकबा 00.10 बीघा है।

तहसील कार्यालय से प्राप्त मौका रिपोर्ट पर वकील प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थी वकील ने अपने आवेदन के तथ्य दोहराते हुए प्रकट किया कि प्रार्थी की खातेदारी के खेत

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 17:40:14 IST
Reason: SelfAttested

..रा नम्बर 1768 से मौका रिपोर्ट में बताये रास्ते अनुसार ही मुख्य मार्ग तक पहुंचने हेतु आता जाता रहा है। इस रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी के आवागमन हेतु अन्य कोई नजदीकी व वैकल्पिक मार्ग नहीं है। अंत में निवेदन किया कि मौके पर मौका रिपोर्ट अनुसार 00.10 बीघा का रास्ता कायम किया जाये, जिस हेतु प्रार्थी नियमानुसार मुआवजा राशि अदा करने पर सहमत है।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना, उनके कथनो पर मनन किया व पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। धारा 251 (क) (1) अनुसार जब कोई अभिधारी अपनी जोत तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदारो की जोत में से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है और मामला खातेदारान् के मध्य पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो न्यायालय में इस हेतु आवेदन पेश होने पर यह साबित करना आवश्यक है कि प्रस्तावित रास्ते की अत्याधिक आवश्यकता है तथा प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है।

प्रार्थी के अनुसार जिस रास्ते को उसने प्रस्तावित किया है वह रास्ता मौके पर कदीम से विधमान है। प्रार्थी को इस रास्ते की अत्याधिक आवश्कता स्पष्ट है क्योंकि इस रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है जहां से होकर प्रार्थी अपने खेत खसरा नम्बर 1768 तक पहुंच सकें।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम बाटाडू पटवार मण्डल बाटाडू तहसील बायतु के खसरा नम्बर 1764 रकबा 59.08 बीघा में से होकर खसरा नम्बर 1768 तक पहुंचने हेतु 00.10 बीघा का रास्ता मौका रिपोर्ट में दर्शाये अनुसार कायम किया जाता है।

उक्त भूमि का प्रतिकर डी.एल सी की दर प्रति बीघा 53190/– से दुगना देय होगा। तहसीलदार बायतु प्रार्थी को रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि यानि 00.10 बीघा की राशि 53190/– तहसील कार्यालय में जमा कराने हेतु सूचित करें तथा प्रतिकर की राशि तहसील कार्यालय में जमा होने पर इस आदेश का भू अभिलेख में अंकन करे तथा प्रतिकर Compensation राशि 53190/– नियमानुसार विप्रार्थी संख्या 1 को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 04.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शूमार हो, दर्ज नम्बर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

4/2/2020

(विवेक व्यास)

उपखण्ड अधिकारी बायतु

उपखण्ड मजिस्ट्रेट (SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 17:40:14 IST
Reason: SelfAttested